परिशिष्ट 1

[19/2/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 2274]

कलेक्टर, रतलाम
शाखा E.G.(WRD)
टी.आर.एन.
- 4 OCT 2007
अधीक्षक कलेक्टर

मध्य प्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
वृहद परियोजना नियंत्रण मण्डल

क्रमांक सी बी/रा.स्त.125/31/2007/807 भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2007

आदेश

राज्य शासन, यू आई डी एस एस एम टी योजना (Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns) अंतर्गत रतलाम जिले के रतलाम नगर की जल आवर्धन योजना के लिए जल संसाधन विभाग के धोलाबड़ बांध से अधिकतम 9.10 मिलियन घनमीटर पानी पेयजल हेतु उपयोग करने की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

(1) जल प्राप्त करने हेतु संबंधित नगर पालिका परिषद को इन्टेक वेल के स्थल चयन के संबंध में जल संसाधन विभाग से स्वीकृति प्राप्त करना होगी।

(2) उपरोक्त अधिकतम 9.10 मिलियन घनमीटर मात्रा का जल प्राप्त करने हेतु संबंधित नगर पालिका परिषद को निर्धारित प्रारूप में जल संसाधन विभाग से अनुबंध करना होगा।

(3) बांध से प्रदाय की गई मात्रा के लिए संबंधित नगर पालिका परिषद को शासन द्वारा समय-समय पर लागू की गई जल दर अनुसार जल कर का भुगतान समय पर जल संसाधन विभाग को करना होगा तथा यह परिषद पर बंधनकारी होगा। जल कर का भुगतान अनुबंध की तिथि से प्रभावशील होगा। समय पर जल कर का भुगतान नहीं करने की स्थिति में बांध में आरक्षित जल का प्रदाय नहीं किया जाएगा एवं इस आरक्षित जल का उपयोग जल संसाधन विभाग द्वारा अन्य प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

(4) जल आपूर्ति की अनुमति जिस उद्देश्य के लिए दी जा रही है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नगर पालिका परिषद द्वारा अन्य उद्देश्य के लिए जल का उपयोग किए जाने पर स्वीकृति निरस्त कर दी जाएगी।

(5) नगर पालिका परिषद प्रतिवर्ष पेयजल की आवश्यकता के अनुरूप अपना मांग पत्र जल संसाधन विभाग को अक्टूबर माह में प्रस्तुत कर अवगत करायेगी कि पूरे वर्ष के लिए जल की कितनी मात्रा बांध में आरक्षित रखी जाना है ताकि जल की शेष मात्रा का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सके। आरक्षित मात्रा अधिकतम 9.10 मिलियन घनमीटर से अधिक नहीं होगी।

(6) बांध से जल की मात्रा मापने के उपकरण एवं इन्हें स्थापित करने में निर्माण कार्य का व्यय संबंधित नगर पालिका परिषद द्वारा वहन किया जाएगा।

(7) जल आवर्धन परियोजना के लिए मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग किसी भी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं करेगा।

(आर सी सोनी)
सचिव
वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल

4518
24/10/07

M (3)

पृ. क्रमांक सी बी/रा.स्त.125/31/2007/808 भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर, 2007

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. कार्यपालन संचालक, मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण, कचनार, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल
4. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल
5. मुख्य अभियंता, नर्मदा ताप्ती कछार, इंदौर
6. कलेक्टर, रतलाम
7. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल, उज्जैन
8. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम

24/09/07

(आर सी सोनी)
सचिव
वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल

300.00 MCJ[illegible] [illegible] UIDS
325.00
300.00
475.00

1400.00 [illegible]